REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264797 CG-DL-E-18072025-264797

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3219] No. 3219] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3289(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा 'आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (पैन: AAAJA1610Q), जो जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड के संबंध में उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्द्रिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थातः

- (क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अंतर्गत प्राप्त सहमति शुल्क;
- (ख) सर्वेक्षण शुल्क या वायु परिवेश गुणवत्ता सर्वेक्षण शुल्क या ध्वनि स्तर सर्वेक्षण शुल्क;

- (ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम जैसी स्कीमों के लिए प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति;
- (घ) जैव चिकित्सा प्राधिकार शुल्क;
- (ङ) उपकर प्रतिपूर्ति और उपकर अपील शुल्क;
- (च) केन्द्र या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;
- (छ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;
- (ज) विधि पुस्तकों की बिक्री, जहां कोई लाभ तत्व शामिल नहीं है और गतिविधि वाणिज्यिक प्रकृति की नहीं है;
- (झ) बोर्ड के कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज;
- (ञ) विविध आय जैसे पुरानी स्क्रैप वस्तुओं की बिक्री, निविदा शुल्क आदि;
- (ट) उपर्युक्त से अर्जित ब्याज।

2 यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वितीय वर्षो में अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा

3 यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 के लिए संगत होगी तथा कर निर्धारण वर्ष 2026-2027 के लिए लागू होगी और वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 119 /2025/फा. सं. 300196/18/2017-आईटीए-I(भाग-II)]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

<u>व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3289(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Andhra Pradesh Pollution Control Board' (PAN: AAAJA1610Q), a Board established by the State Government of Andhra Pradesh under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), in respect of the following specified income arising to the said Board, namely:

- (a) Consent fees received under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);
- (b) Analysis fees or air ambient quality survey fees or noise level survey fees;
- (c) Reimbursement of the expense received from Central Pollution Control Board towards National Water Quality Monitoring Programme and National Air Quality Monitoring Programme like schemes;
- (d) Bio medical authorization fees;
- (e) Cess reimbursement and cess appeal fees;
- (f) Grants received from State or Central Governments;
- (g) Fees received under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005);
- (h) Sale of law books where no profit element is involved and the activity is not commercial in nature;
- (i) Interest on loans and advances given to staff of the Board;
- (j) Miscellaneous income like sale of old scrap items, tenders fees etc.;
- (k) Interest earned arising out of the above.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that Andhra Pradesh Pollution Control Board
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, relevant to financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, and shall be applicable for assessment years 2026-2027 relevant to financial years 2025-2026.

[Notification No. 119 /2025/F. No. 300196/18/2017-ITA-I/Part-II] MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.